न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट सकट)

वाद संख्या :– 03 / 02 / 2018

1. सुपर एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली शाखा राजपुरबडा राजगढ़ – प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब राजगढ – अप्रार्थी

धारा 128 आर.टी. एक्ट

दिनांक 14.06.2018

आज पत्रावली वास्ते निर्णय कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सकट पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1500 / 0.56, 1483 / 0.61, 1481 / 0.14, 1469 / 2.11, 1482 / 0.35, 1506 / 0.04, 1505 / 0.06 वाके ग्राम राजपुरबडा तहसील राजगढ में स्थित है जिसका प्रार्थी क्रेता खातेदार है। उक्त आराजी की प्रार्थी द्वारा नियमानुसार तहसीलदार राजगढ के यहां आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 16.11.2017 को सीमाज्ञान कराया गया है। अब प्रार्थी उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी की पत्थरगढी करने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। आज कैम्प सकट के दौरान अप्रार्थी तहसीलदार राजगढ उपस्थित है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अपनी कोई आपत्ति पेश नहीं की। पत्रावली का अवलोकन किया। पूर्व सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.11.2017 का भी अवलोकन किया। तहसीलदार राजगढ की सहमति व प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 आर.टी. एक्ट हाल आराजी खसरा नम्बर 1500 / 0.56, 1483 / 0.61, 1481 / 0.14, 1469 / 2.11, 1482 / 0.35, 1506 / 0.04, 1505 / 0.06 वाके ग्राम राजपुरबडा तहसील राजगढ तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजगढ को आदेश दिए जाते हैं कि वो पक्षकारान की उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर आराजी की पुनः पैमाईश कर अपनी उपस्थिति में पत्थरगढी कराने की कार्यवाही कर अवगत करायें। निर्णय प्रति तहसीलदार राजगढ को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 कैम्प कोर्ट सकट पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट सकट)